न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 115/2017 तारीख रजू:– 29.09.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. दुल्ली पुत्र सम्पत
2. बल्ली पुत्र सम्पत
3. धर्मी पुत्र सोना
4. श्रीमती उगन्ती पत्नि धर्मी
5. राजाराम पुत्र धर्मी

सभी जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——————————— सायलान

बनाम

1. जिलेदार पुत्र श्री मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा तहसील हिण्डौन
2. श्रीमती जग्गो पत्नि जिलेदार जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा तहसील हिण्डौन
3. रामफल पुत्र मनोहरी जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा फाटक,कल्ली का पुरा पटेल नगर हिण्डौन जिला करौली
4. श्रीमती बबली पत्नि रामफल जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा फाटक,कल्ली का पुरा पटेल नगर हिण्डौन जिला करौली ——————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायलान
2. श्री राघवेन्द्र जैमिनी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 16.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.24 है0, 440 रकबा 0.06 है0, 441 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायल नं01 व 2 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं तथा सायल नं0 3 हिस्सा 1/19 का खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 409 रकबा 0.28 है0, 414 रकबा 0.22 है0, 636 रकबा 0.17 है0 ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें सायल सं0 4 का 25/28 हिस्सा के खातेदार खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 627 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द में सायल नं01व 2 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा न[illegible] रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0, 80 रकबा 0.07 है वाके ग्राम [illegible] तहसील हिण्डौ में स्थित है। खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0 स[illegible]न सं01,2 व 5 ने जरिये रजिस्ट्री [illegible] तथा सायलान ने [illegible] आराजीयात गैरसायल सं01 से खरीद ली है। [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। सायलान व गैरसायलान की भूमि की आपस में डौल मेंढ लगी हुई है। इस कारण गैरसायलान सायलान की भूमि की डौल मेंढ को तोडकरके अपनी भूमि में मिलाने पर उतारू रहते हैं। बाका दिनांक 25.09.2017 को सायलान अपने हिस्से की भूमि में सरसों की फसल बोने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उक्त गैरसायलान अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर आये और सायलान को अपने हिस्से की भूमि में से काश्त करने के लिए मना किया और कहा कि अब तुम इन खेतों को भूल जाओ तथा जबरन बेदखल कर देंगे। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मी पर आमादा हैं। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को अपनी उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं02, 3 व 4 प्रार्थना पत्र दर्ज आराजीयात में सायलान के हिस्से के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी किसी प्रकार की नहीं करें। सायलान को बेदखल नहीं करें। सायलान के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी किसी प्रकार की पैदा ना करें। गैरसायलान ऐसा कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 आंशिक रूप से स्वीकार है, जिसमें सायल सं01 व 2 का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज हो रहा है तथा सायल सं01 व 2 की सगी बहिनें अमरो, कुलिया पुत्रियॉ सम्पत का 1/2 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं जिनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है तथा जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदार को भी पक्षकार मुदकाम नहीं बनाया है। जिससे मुकदमें में पार्टी नुक्स एराईज होता है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 409 रकबा 28 एयर, 414 रकबा 22 एयर, 336 रकबा 17 एयर गैरसायल सं01 के पिता [illegible] पुत्र सोना के नाम खातदारी दर्ज है, जो फौत हो चुके [illegible] सं01 जिलेदार उनका कायम मुकाम वारिस है जो [illegible] व हसील है। सायलान ने सायल सं04 का 25/28 हिस्सा बिना किसी [illegible] के गलत लिखकर प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

पेश किया है, जो भूमियॉ ग्राम बाजनाखुर्द में स्थित होना स्वीकार है। जिससे सायलान का कोई सम्बध किसी प्रकार का नहीं है ना ही मौके पर कब्जा काश्त है। बल्कि मौके पर गैरसायल सं01 का ही मौके पर कब्जा काश्त है। सायल सं01 व 2 का खसरा नम्बर 627 रकबा 32 एयर में 1/6 हिस्सा होना स्वीकार तथा खसरा नम्बर 78 रकबा 19 एयर , 79 रकबा 19 एयर की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरसायल सं01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिससे सायलान का कोई सम्बध किसी प्रकार का नहीं है। ना ही गैरसायल नं01 ने सायल सं02,4,5 को उक्त खसरा नम्बरान का बेचान किया है तथा सायलान ने गलत व बनावटी आधारों पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। इसलिए उक्त भूमियों का सायलान का बंटवारा कराने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। खसरा नम्बर 80 रकबा 34 एयर गैरसायल सं0 1 जिलेदार व उसकी सगी बहिन मु0 छटंकी व पांची का 7/34 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष 27/34 हिस्सा की खातेदारी किशोरी, सोहनलाल कोली पि0 मवासी कोली के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे सायल सं01,2, व 5 का कोई हिस्सा नहीं है और सायल ने नम्बरान में उक्त सहखातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। गैरसायल नं01 जिलेदार के पुत्र नहीं होने से तथा वृद्धअवस्था में होने के कारण उसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियों को हडपे की नीयत से बेवजह परेशान कर उसकी बेशकीमती भूमियों को हडपना चाहते हैं और गांव से भगाना चाहते हैं। विवादित भूमियों से सायालान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं होने पर गैरसायल नं01 को नाजायज परेशान करते चले आ रहे हैं। गैरसायल नं03 व 4 गैरसायल सं01 की बेटी व दामाद है जो कल्लीपुरा हिण्डौन में रहते हैं। उनको परेशान करने की नीयत से अनावश्यक मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। दिनांक 25.09.2017 को या अन्य किसी दिवस को कोई बातचीत व झगडा नहीं हुआ तथा सायला ने इस मद में सभी तथ्य झूंठे व बनावटी लिखे हैं। सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं हो रही है एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के पक्ष में है।

विशेष विवरण में दर्ज किया है कि विवादित भूमियों में दर्ज सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने से पार्टी नुक्श होता है तथा इसी बिना पर प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। विवादित भूमियों पर सायलान का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने से कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र टी0 आई0 चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र टी0आई0 सायलान क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने के कारण खारिज होने योग्य [illegible] ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के आधार पर सही खाते[illegible] के हिस्सा [illegible] नहीं किये हैं और ना ही सहखातेदारों को मुकदमा में पक्षकार [illegible] रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जो हर आईने [illegible]रिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी छटंकी, पांची बहक राजाराम दिनांक 12.09.2017 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायल नं01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वंर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 438 रकबा 0.24 है0, 440 रकबा 0.06 है0, 441 रकबा 1.58 है0, 560/1553 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी केदार सरदार पि0 जौहरी सुशीला कला किन्नी पुत्रियॉ जौहरी हि0ब0 हि01/19 सांवल पुत्र सोना हि01/19, सेडू पुत्र सूका हि.1/19, रामजीलाल पुत्र सुक्की हि01/19, विलारहन भरतसिंह कंवरसिंह पि0 रामस्वरूप हल्की पत्नि रामस्वरूप हि01/38, कुन्दन पुत्र हीरा हि01/19, कमलसिंह भगवानसिंह लक्ष्मणसिंह पि0 जीवन हि0ब0हि01/19, हरप्यारी बरफी अतरो राजती पुत्रियॉ चिरंजी किस्तूरी पत्नि चिरंजी हि0ब0हि0 1/19, सूबे पुत्र फूली हि01/19, हरकिशन पुत्र जवाहर हि01/19, विमला पत्नि किरोडी सुनीता पुत्री किरोडी हि01/19 बिला रहन, मिश्री पुत्र सम्पतिया हि01/38, राहिन एसबीबीजे शाखा स्टेशन रोड हिण्डौन मुर्तहिन विरह पुत्र नारायण हि01/19, जगदीश मदन रामनिवास रामरूप पि0 प्यारसिंह पार्वती लालवती पुत्रियॉ प्यारसिंह कला पत्नि प्यारसिंह हि01/38, सुवालाल पुत्र गिर्राज हि01/38, दुल्ली बल्ली पि0 सम्पत हि01/3 अमरो मुलिया द्रो पुत्रियॉ सम्पत हि01/2 रघुवर पुत्र देवीसिंह अनीता विमलेश पुत्रियॉ देवीसिंह नावा0संरक्षक पिता देवीसिंह हि01/6 दर हिस्सा 1/19, धर्मी पुत्र सोना हि01/19, जिलेदार पुत्र मोहरसिंह हि01/19, मांगी पुत्र किशनलाल भरोसी अर्जुन हरिमोहन कल्ली पि0 रूपसिंह विरमा लीला शकुन्तला पुत्रियॉ रूपसिंह कला प[illegible] हि01/19 बहादुर उर्फ गुट्टा रमेश खेमसिंह पि0 प्यारे गीता लंका पुत्रियॉ [illegible] हि0ब0हि01/19 जाति गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.32 है0 [illegible]के ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
हिण्डौन सिटी ([illegible])

Scanned by CamScanner

की खातेदारी मोहरसिंह सम्पत धर्मी पि0 सोना जाति गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 579–नि0दिं0 20.05.2011 –विरासत से मोहरसिंह के बजाय जिलेदार पुत्र मोहरसिंह इमरती बैजन्ती पांची रज्जो छटंकी कला पुत्रियॉ मोहरसिंह के नाम हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 580 – नि0दिं0 20.05.2011 –विरासत से सम्पत्ति के बजाय दुल्ली बल्ली पि0 सम्पत हि01/6 अमरो मूलिया द्रो पुत्रियॉ सम्पत हि01/4, रघुवर पुत्र देवीसिंह अनीता विमलेश पुत्रियॉ देवीसिंह नावा0 संरक्षक पिता देवीसिंह हि01/12 के नाम हुआ तथा नामान्तकरण सं0 614 –नि0दि0 20.12.2011 –हकत्याग से इमरती बैजन्ती रज्जो कला पुत्रियॉ मोहरसिंह के बजाय जिलदार पुत्र मोहरसिंह स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.28 है0, 614 रकबा 0.22 है0, 636 रकबा 0.17 है0 ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी मोहरसिंह पुत्र सोना जाति गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 579–नि0दिं0 20.05.2011 –विरासत से खाता जिलेदार पुत्र मोहरसिंह इमरती बैजन्ती पांची रज्जो छटंकी कला पुत्रियॉ मोहरसिंह के नाम हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 611 – नि0दिं0 05.11.2011 –बेचान से खसरा नम्बर 614 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 409 का हि0 25/28 उगती पत्नि धर्मी जाति गुर्जर नि0 गैदूपुरा के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 614 –नि0दिं0 20.12.2011 –हकत्याग से खसरा नम्बर 409 व 636 में इमरती बैजन्ती रज्जो कला पुत्रियॉ मोहरसिंह के बजाय जिलदार पुत्र मोहरसिंह स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा की खातेदारी जिलेदार पुत्र मोहरसिंह हि0 5/7 छटंकी पांची पुत्री मोहरसिंह हि0 2/7 जाति गूजर हि0ब0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी छटंकी, पांची बहक राजाराम दिनांक 12.09.2017 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा में खातेदार छटंकी पांची पुत्री मोहरसिंह गुर्जर ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 2/7 भाग की भूमि को राजाराम पुत्र धर्मी गुर्जर निवासी गैदूपुरा तहसील हिण्डौन को बेचान किया गया है तथा कब्जा मौके पर संभलाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि गैरसायल नं02 ता 4 का उक्त विवादित आराजीयात से कोई [illegible] किसी प्रकार का नहीं है बल्कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के मद नं0 2,3 [illegible] वर्णित आराजीयात सायलान एवं गैरसायल सं01 व अन्य खातेदारों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर प्रत्येक सहखातेदार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.08.17 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त माना जाता है। सायलान ने विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में सायल नं01 व 2 का 1/3 हिस्सा एवं सायल नं03 का 1/19 हिस्सा दर्ज किया है जबकि सायलान के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार सायल नं01 व 2 का 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 1/19 के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थना पत्र के मद नं04 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0, वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन में सायल सं0 5 हिस्सा 2/7 भाग का मुताबिक रजिस्टर्ड विकय पत्र खातेदार है जिससे सायल नं01 व 2 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है बल्कि 5/7 हिस्से का गैरसायल सं01 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अपने हिस्से को सही अंकित नहीं किया है बल्कि गलत अंकित किया है। सायलान ने क्लीन हैण्ड से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश नहीं किया है। उक्त विवादित आराजीयात का गैरसायल सं01 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार प्रत्येक का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू—भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उनके मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर अलग अलग खाते कायम नहीं हो जावें। ऐसे हालात में सायलान का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायल सं01 के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 438 रकबा 0.24 है0, 440 रकबा 0.06 है0, 441 रकबा 1.58 है0, 560/1553 वाके ग्राम गैदूपुरा तथा खसरा नम्बर 627 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तथा खसरा नम्बर 409 रकबा 0.28 है0, 614 रकबा 0.22 है0, 636 रकबा 0.17 है0 ग्राम बाजनाखुर्द तथा खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

16.03.2021
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner